

पार्थी-अधिवक्ता द्वारा मांग जाने पर न्यायहित में एक  
और अंतिम अवसर वारंटे नामकायमी दिया जाता है  
पत्रावली वारंटे नामकायमी दिनांक 24.10.24 को पेश  
हो।

28.11.24

पत्रावली पेश हुई। अर्धी अधिवक्ता उपस्थित। अर्धी  
अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नोट लेन संकलित करते हुए  
चलाना नहीं चाहते हैं इधन किया गया। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। अर्धी द्वारा प्र.पत्र नहीं चलाना चाहते  
इधन किया गया है जिल्ले अर्धीन खरिज किए जाने योग्य है।  
अतः अर्धीन पत्र इसी स्तर पर खरिज किया जाता है।  
निर्णय लरे इजलाम सुनाया गया। प्रकण फैजल शुमा टोकर  
गम्बर ले कम हो।

Not Pursued  
A.P.  
hush

व  
(रिया सबी)  
IPS